भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 998

सोमवार, 10 फरवरी, 2025 / 21 माघ, 1946 (शक)

ईपीएफओ पोर्टल का उन्नयन

998. श्री वी. के. श्रीकंदन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत ब्यौरे में त्रुटियों को स्वयं सुधारने की अनुमति देकर ईपीएफओ पोर्टल पर संयुक्त घोषणा की प्रक्रिया को सरल बना दिया है और यदि हां, तो तत्संबंध ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये सुधार ईपीएफओ की प्रणाली अद्यतन प्रक्रिया का हिस्सा थे, जिसे ईपीएफओ 2.0 कहा जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शुरू की जाने वाली प्रणाली ईपीएफओ 3.0 में ईपीएफओ 2.0 की तुलना में अधिक लाभ होंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ये प्रणालियां ईपीएफओ पर कार्यभार कम करेंगी और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): जी हाँ, नौकरी बदलने पर सदस्य की भविष्य निधि के अंतरण की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है, जिसमें कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत विवरण में त्रुटियों को स्वयं सुधारने की अनुमति दी गई है, बशर्ते उनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन)/सदस्य पहचान संख्या (एमआईडी) आधार से जुड़ा हो। ईपीएफओ नियमित रूप से अपनी मानक संचालन प्रक्रियाओं को संशोधित करता है ताकि अपने सदस्यों के लिए 'जीवन की सुगमता' और क.भ.नि. और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत शामिल प्रतिष्ठानों के लिए 'व्यापार करने में आसानी' सुनिश्चित की जा सके।

सरलीकृत प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप ईपीएफओ का कार्यभार कम हो गया है।

*****